



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 06.02.2026

थाना बिनौली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 17/26 धारा 305(a)/331(4)/324(4) बी.एन.एस का सफल अनावरण करते हुये 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी हुए आभूषण व नगदी (7000 रुपये) बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.01.2026 को थाना बिनौली पर आवेदिका ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त के द्वारा वादिया के घर का ताला तोड़कर नगदी व आभूषण चोरी कर लिये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली बागपत पर मु0अ0सं0 17/26 धारा 305(a)/331(4)/324(4) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया।



नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान 02 अभियुक्तों 1- हिमांशु कश्यप पुत्र रामेश्वर कश्यप निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली बागपत 2- आक्रोश कश्यप पुत्र देवेन्द्र कश्यप निवासी बिजवाडा थाना बिनौली बागपत का नाम प्रकाश में आया तथा चोरी का सामान बरामद होने पर धारा 317(2) बीएनस की वृद्धि गयी है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 17/26 धारा 305(a)/331(4)/324(4) बी.एन.एस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से चोरी किये हुए आभूषण व नगदी बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1-हिमांशु पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-आक्रोश पुत्र देवेन्द्र निवासी बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी किये हुए आभूषण ।
- चोरी किये हुए नगद 7000 रुपये ।

घटना का अनावरण व गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बिनौली बागपत ।

2- है0का0 15 यशविन्द्र सिंह थाना बिनौली बागपत ।

3- पीआडी पप्पू थाना बिनौली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 06.02.2026

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 438/25 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस में प्रकाश में आये वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05-12-2025 को थाना खेकडा पर आवेदक जोगिन्द्र कुमार पुत्र आनन्द कुमार निवासी गैरीपुर जवाहरनगर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा देशी शराब ठेका पाठशाला चौराहा का ताला तोड़कर चार शराब की पेटी, 01 डीवीआर और गल्ले से कुछ रुपये चोरी कर लिये गये हैं । इस सम्बन्ध



में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0-438/25 धारा 331(4),305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 438/25 धारा 331(4),305(a) बीएनएस – 2023 में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त आदेश उर्फ पुन्नी पुत्र सतपाल को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा दिनांक 27-12-2025 को 02 अभियुक्तों 1.शाहरुख पुत्र मुनव्वर व 2.आबिद पुत्र इस्लाम को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आदेश उर्फ पुन्नी पुत्र सतपाल निवासी कर्स्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 24 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना खेकड़ा जिला बागपत ।
- है0का0 86 अजय कुमार थाना खेकड़ा जिला बागपत ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 06.02.2026

थाना छपरौली पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. शरणवीर पुत्र जगदीश निवासी ग्राम नांगल थाना छपरौली जनपद बागपत ।
2. रविन्द्र पुत्र रामपाल निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जपनद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ.नि. श्री नवनीत कुमार थाना छपरौली
2. है०का० 888 कमल सिंह थाना छपरौली
3. का० 594 सरफराज थाना छपरौली